12

कार्यालय कलेक्टर सरगुजा, अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक 368 /भू–अर्जन/2019 अम्बिकापुर,दिनांक 11/1/2019

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व,
उदयपुर, जिला–सरगुजा।

विषयः– कुदरबसवार व्यपवर्तन योजना हेतु विशेषज्ञ समूह के मूल्यांकन प्रतिवेदन के प्रकाशन के संबंध में।
संदर्भः– अपर कलेक्टर का पत्र क्रमांक 10312/भू–अर्जन/2018, दिनांक 13/08/2018.

विषयान्तर्गत कुदरबसवार व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम भकुरमा, तहसील उदयपुर में कुल 23 खातेदारों की कुल खसरा नं. 29, कुल रकबा 2.584 हे0 निजी भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन/ सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के मूल्यांकन हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 8884/भू–अर्जन/2018, दिनांक 25/06/2018 के माध्यम से विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था तथा श्री निर्मल तिग्गा, अपर कलेक्टर, सरगुजा को उक्त विशेषज्ञ समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्री निर्मल तिग्गा, अपर कलेक्टर, सरगुजा के द्वारा संदर्भित पत्र के साथ मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसकी पांच प्रतियां एतद् संलग्न कर आपको भेजी जा रही हैं।

आपको निर्देशित किया जाता है कि भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 (6) के अनुसार विशेषज्ञ समूह के मूल्यांकन प्रतिवेदन का संबंधित ग्राम पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं प्रभावित ग्राम में तत्काल प्रकाशन कराएं तथा की गई कार्यवाही के संबंध में पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

11/1/19

(डॉ.सारांश मित्तर)
कलेक्टर
सरगुजा,अम्बिकापुर

क्रमांक 369 /भू–अर्जन/2019 अम्बिकापुर, दिनांक 11/1/2019

प्रतिलिपि–

1– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2– आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।
4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर को मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति जिले के वेबसाईट पर तथा छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, की वेवसाईट पर भूमि अधिग्रहणः जिलेवार भू–अर्जन अधिसूचनाएं शीर्ष के अन्तर्गत अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
5– प्रभारी अधिकारी, नजरात शाखा, कलेक्टर कार्यालय अम्बिकापुर को मूल्यांकन प्रतिवेदन की प्रति कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।
6– तहसीलदार, उदयपुर जिला–सरगुजा।
7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत उदयपुर, जिला सरगुजा।
8– कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0 1, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
सरगुजा,अम्बिकापुर

8

सरगुजा जिले के अन्तर्गत ग्राम भकुरमा तहसील उदयपुर में कुदरबसवार व्यपवर्तन योजना के लिए निजी भूमि अर्जन के संबंध में प्रस्तुत सामाजिक समाघात प्रतिवेदन/सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना का

विशेषज्ञ समूह का मूल्यांकन प्रतिवेदन

1– छत्तीसगढ़ शासन, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र0 01 अम्बिकापुर के द्वारा सरगुजा जिले के अन्तर्गत ग्राम भकुरमा, तहसील उदयपुर में कुदरबसवार व्यपवर्तन योजना हेतु निजी भूमि के कुल 23 खातेदारों की कुल खसरा नं. 29 कुल रकबा 2.584 हे0 भूमि के अर्जन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। कलेक्टर सरगुजा, अम्बिकापुर के आदेश क्रमांक–8884/भू–अर्जन/2018 अम्बिकापुर दिनांक 25/06/2018 के द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन/सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है:–

क्रमांक	श्रेणी	नाम/पदनाम
1	गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक (दो सदस्य)	1– डॉ. आर.एन.शर्मा, विभागाध्यक्ष समाज शास्त्र विभाग, साई बाबा आदर्श महाविद्यालय डिगमा, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा। 2– डॉ. मीरा शुक्ला, डायरेक्टर, मानव संस्कृति विकास परिषद, अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा।
2	स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि (दो सदस्य)	1– श्री राजीव कुमार सिंह, उपाध्यक्ष,जनपद पंचायत उदयपुर, जिला सरगुजा। 2– श्रीमती भोजवन्ती सिंह, सदस्य.,जिला पंचायत सरगुजा।
3	पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ (दो सदस्य)	1– श्री निर्मल तिग्गा, अपर कलेक्टर सरगुजा, अम्बिकापुर 2– अपर कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी, भू–अर्जन, अम्बिकापुर।
4	परियोजना से संबंधित विषय का तकनीकी विशेषज्ञ (एक सदस्य)	श्री बी.पी. अग्रवाल, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण (भ/स) संभाग, अम्बिकापुर।

2– कलेक्टर सरगुजा, अम्बिकापुर के उपर्युक्त आदेश दिनांक 25/06/2018 के द्वारा श्री निर्मल तिग्गा, अपर कलेक्टर, सरगुजा को विशेषज्ञ समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तथा सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन कर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर सहित रिपोर्ट के संबंध में अभिमत/अनुशंसा निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। कलेक्टर सरगुजा द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन/सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना की एक प्रति सभी सुसंगत अभिलेखों के साथ संलग्न कर भेजी गई है।

3– दिनांक 10/08/2018 को कलेक्टर कार्यालय अम्बिकापुर में विशेषज्ञ समूह की बैठक का आयोजन किया गया बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओ पर चर्चा की गई :–

(i) परियोजना का ग्राम के लोगो की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव होगा ?

(ii) ग्राम के लोगों की आजीविका/रोजगार , खाद्य सुरक्षा, जीवन निर्वाह के स्तर एवं आय पर क्या प्रभाव होगा ?

(iii) ग्राम के प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर क्या प्रभाव होगा ?

(iv) ग्राम की निजी /सार्वजनिक सम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर परियोजना का क्या प्रभाव होगा ?

(v) ग्राम की विद्यमान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं पर क्या प्रभाव होगा ?

(vi) क्या परियोजना से लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है ?

(vii) क्या परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं ?

(viii) क्या अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए आवश्यक पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक है ?

(ix) क्या परियोजना से ग्राम के लोगों का विस्थापन हो रहा है ?

4– विशेषज्ञ समूह के द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन/सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना का उपर्युक्त कण्डिकाओं के आधार पर समीक्षा एवं चर्चा की गई। साथ ही सभी संलग्न अभिलेखों का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन में दल के द्वारा परियोजना के प्रभावों के संबंध में विस्तृत विवरण दिया गया है जिसमें किसी नकारात्मक प्रभाव का उल्लेख नहीं है। दल के द्वारा सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना का प्रारुप तैयार किया गया है जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं–

(i) इस परियोजना में संशोधित प्रभावित 23 खातेदारों की भूमि का एक छोटा भाग ही अधिग्रहण किया जाना है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण में किसी भी परिवार के पुनर्वासन की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) इस परियोजना के कारण पर्यावरण संतुलन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(iii) परियोजना के आने से प्रभावित ग्राम भकुरमा के कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

(iv) इस परियोजना से सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। इस प्रकार लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है।

(v) अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए आवश्यक पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक है।

(vi) परियोजना का ग्राम के लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

(vii) खाद्य सुरक्षा, जीवन निर्वाह के स्तर में सुधार होगा एवं आय में वृद्धि होगी।

(viii) ग्राम के प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

(ix) ग्राम की निजी /सार्वजनिक सम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर परियोजना का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(x) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।

(xi)– परियोजना से ग्राम के लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है।

5– विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना एवं सभी संलग्न अभिलेखों के अवलोकन एवं परिशीलन तथा सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा के उपरांत निम्नलिखित निष्कर्ष पर सहमति दी गई है–

(i) परियोजना का ग्राम के लोगो की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

(iii) ग्राम के प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

(iv) ग्राम की निजी /सार्वजनिक सम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर परियोजना का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(vi) परियोजना से लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है।

(vii) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।

(viii) अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए आवश्यक पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक है।

(ix) परियोजना से ग्राम के लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है।

अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, नया रायपुर के द्वारा स्वीकृत की गई अटेम व्यपवर्तन योजना के निर्माण के लिए ग्राम डांड़गांव में संशोधित कुल 23 खातेदारों की कुल खसरा नं. 29 कुल रकबा 2.584 हे0 के अधिग्रहित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता ध्रुव)
अपर कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी,
भू–अर्जन, अम्बिकापुर।

(निर्मल तिर्की)
अपर कलेक्टर, सरगुजा,
अम्बिकापुर

(डॉ. आर.एन.शर्मा)
विभागाध्यक्ष
समाज शास्त्र विभाग,
साई बाबा आदर्श महाविद्यालय डिगमा, अम्बिकापुर
जिला सरगुजा।

डॉ(मीरा शुक्ला)
डायरेक्टर,
मानव संस्कृति विकास परिषद,
अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा।

(राजीव कुमार सिंह)
जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, क्षेत्र
उदयपुर, जिला सरगुजा।

(बी.पी. अग्रवाल)
कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग,
(भ/स) संभाग, अम्बिकापुर।

(श्रीमती भोजवन्ती सिंह)
सदस्य, जिला पंचायत
सरगुजा।

कार्यालय कलेक्टर सरगुजा, अम्बिकापुर एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 370/भू–अर्जन/2019 अम्बिकापुर,दिनांक 11/1/2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 8 सहपठित नियम 26 के अन्तर्गत

कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र0 01 अम्बिकापुर के द्वारा कुदरबसवार व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम भकुरमा, तहसील उदयपुर में कुल 23 खातेदारों की कुल खसरा नं. 29, कुल रकबा 2.584 हे0 निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन/ सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के मूल्यांकन हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 8884/भू–अर्जन/2018, दिनांक 25/06/2018 के माध्यम से विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समूह के द्वारा पत्र क्रमांक 10312/भू–अर्जन/2018, दिनांक 13/08/2018 के साथ मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

(i) परियोजना का ग्राम के लोगो की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

(ii) ग्राम के प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

(iii) ग्राम की निजी /सार्वजनिक सम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर परियोजना का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(iv) परियोजना से लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है।

(v) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।

(vi) अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए आवश्यक पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक है।

(vii) परियोजना से ग्राम के लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है।

2– मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र0 01 अम्बिकापुर के द्वारा कुदरबसवार व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम भकुरमा, तहसील उदयपुर में कुल 23 खातेदारों की कुल खसरा नं. 29, कुल रकबा 2.584 हे0 निजी भूमि अर्जित किये जाने हेतु विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुशंसा की गई है।

3– सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, विशेषज्ञ समूह का मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य सभी प्रासंगिक अभिलेखों के अवलोकन एवं विचारोपरांत मेरा निष्कर्ष निम्नानुसार है –

(i) प्रस्तावित अर्जन के संबंध में एक विधिसम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है जिसके कारण प्रस्तावित भूमि का अर्जन आवष्यक हो गया है।

(ii) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।

(iii) परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अर्जन किए जाने का प्रस्ताव है।

(iv) इस परियोजना के लिए ऐसी कोई अनुपयोजित भूमि नहीं है, जिसका ग्राम भकुरमा, तहसील उदयपुर, में पूर्व में अर्जन किया गया है।

(v) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन अपेक्षित प्रभावित कुटुम्बों की पूर्व सहमति विहित रीति एवं निर्धारित प्रारूप में अभिप्राप्त कर ली गई है।

अतएव विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा के आधार पर (क) न्यूनतम विस्थापन (ख) अधोसंरचना पर न्यूनतम बाधा (ग) पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव को सुनिश्चित करते हुए कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र0 01 अम्बिकापुर प्रस्ताव के अनुक्रम में कुदरबसवार व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम भकुरमा, तहसील उदयपुर में कुल 23 खातेदारों की कुल खसरा नं. 29, कुल रकबा 2.584 हे0 निजी भूमि का भ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं प्रासंगिक नियमों के अनुसार अर्जन का विनिश्चय किया जाता है।

11/1/19

(डॉ.सारांश मित्तर)
कलेक्टर
सरगुजा,अम्बिकापुर

क्रमांक 371 /भू–अर्जन/2019 अम्बिकापुर, दिनांक 11/1/2019

प्रतिलिपि–

1– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

2– आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

3– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।

4– अनुविभागीय अधिकारी, उदयपुर जिला–सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संबंधित ग्राम पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं प्रभावित ग्राम में अधिसूचना का तत्काल प्रकाशन कराएं तथा पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। आपको आदेशित किया जाता है कि " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 " के अन्तर्गत कुदरबसवार व्यपवर्तन योजना के लिए सामाजिक समाघात प्रतिवेदन के संलग्नक में दर्शाये अनुसार ग्राम भकुरमा, तहसील उदयपुर में कुल 23 खातेदारों की कुल खसरा नं. 29, कुल रकबा 2.584 हे0 निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रकरण पंजीबद्ध करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु प्रारंभिक अधिसूचना का प्रारुप तैयार कर प्रस्तुत करें।

5–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर को अधिसूचना की एक प्रति जिले के वेबसाईट पर तथा छत्तीसगढ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, की वेवसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।

6– प्रभारी अधिकारी, नजरात शाखा, कलेक्टर कार्यालय अम्बिकापुर को अधिसूचना की प्रति कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।

7– तहसीलदार, उदयपुर जिला–सरगुजा।

8– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत उदयपुर, जिला सरगुजा।

9– कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0 01, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
सरगुजा,अम्बिकापुर

12

कार्यालय कलेक्टर सरगुजा, अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक 373 /भू–अर्जन/2019 अम्बिकापुर,दिनांक 11/1/2019

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व,
उदयपुर, जिला–सरगुजा।

विषयः– अटेम व्यपवर्तन योजना हेतु विशेषज्ञ समूह के मूल्यांकन प्रतिवेदन के प्रकाशन के संबंध में।
संदर्भः– अपर कलेक्टर, सरगुजा का पत्र क्रमांक 10403/भू–अर्जन/2018, दिनांक 20/08/2018.

———

विषयान्तर्गत अटेम व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम सानीबर्रा, तहसील उदयपुर में कुल 39 खातेदारों की कुल खसरा नं. 49, कुल रकबा 8.594 हे0 निजी भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन/ सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के मूल्यांकन हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 8882/भू–अर्जन/2018, दिनांक 25/06/2018 के माध्यम से विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था तथा श्री निर्मल तिग्गा, अपर कलेक्टर, सरगुजा को उक्त विशेषज्ञ समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। श्री निर्मल तिग्गा, अपर कलेक्टर, सरगुजा के द्वारा संदर्भित पत्र के साथ मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसकी पांच प्रतियां एतद् संलग्न कर आपको भेजी जा रही हैं।

आपको निर्देशित किया जाता है कि भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 (6) के अनुसार विशेषज्ञ समूह के मूल्यांकन प्रतिवेदन का संबंधित ग्राम पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं प्रभावित ग्राम में तत्काल प्रकाशन कराएं तथा की गई कार्यवाही के संबंध में पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

11/1/19

(डॉ.सारांश मित्तर)
कलेक्टर
सरगुजा,अम्बिकापुर

क्रमांक 374 /भू–अर्जन/2019 अम्बिकापुर, दिनांक 11/1/2019

प्रतिलिपि–

1– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2– आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।
4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर को मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति जिले के वेबसाईट पर तथा छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, की वेवसाईट पर भूमि अधिग्रहणः जिलेवार भू–अर्जन अधिसूचनाएं शीर्ष के अन्तर्गत अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
5– प्रभारी अधिकारी, नजरात शाखा, कलेक्टर कार्यालय अम्बिकापुर को मूल्यांकन प्रतिवेदन की प्रति कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।
6– तहसीलदार, उदयपुर जिला–सरगुजा।
7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत उदयपुर, जिला सरगुजा।
8– कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0 1, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
सरगुजा,अम्बिकापुर

सरगुजा जिले के अन्तर्गत ग्राम सानीबर्रा, तहसील उदयपुर में अटेम व्यपवर्तन योजना के लिए निजी भूमि अर्जन के संबंध में प्रस्तुत सामाजिक समाघात प्रतिवेदन/सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना का

विशेषज्ञ समूह का मूल्यांकन प्रतिवेदन

1– छत्तीसगढ़ शासन, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र0 01 अम्बिकापुर के द्वारा सरगुजा जिले के अन्तर्गत ग्राम सानीवर्रा, तहसील उदयपुर में अटेम व्यपवर्तन योजना हेतु निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। कलेक्टर सरगुजा, अम्बिकापुर के आदेश क्रमांक–8882/भू–अर्जन/2018 अम्बिकापुर दिनांक 25/06/2018 के द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन/सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है:–

क्रमांक	श्रेणी	नाम/पदनाम
1	गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक (दो सदस्य)	1– डॉ. आर.एन.शर्मा, विभागाध्यक्ष समाज शास्त्र विभाग, साई बाबा आदर्श महाविद्यालय डिगमा, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा। 2– डॉ. मीरा शुक्ला, डायरेक्टर, मानव संस्कृति विकास परिषद, अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा।
2	स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि (दो सदस्य)	1– श्री राजीव कुमार सिंह, उपाध्यक्ष,जनपद पंचायत उदयपुर, जिला सरगुजा। 2– श्रीमती संतोषी सिंह, बी.डी.सी.,जनपद पंचायत उदयपुर, जिला सरगुजा।
3	पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ (दो सदस्य)	1– श्री निर्मल तिग्गा, अपर कलेक्टर सरगुजा, अम्बिकापुर 2– श्रीमती चन्द्रकान्ता ध्रुव, अपर कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी, भू–अर्जन, अम्बिकापुर।
4	परियोजना से संबंधित विषय का तकनीकी विशेषज्ञ (एक सदस्य)	श्री बी.पी. अग्रवाल, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण (भ/स) संभाग, अम्बिकापुर।

2– कलेक्टर सरगुजा, अम्बिकापुर के उपर्युक्त आदेश दिनांक 25/06/2018 के द्वारा श्री निर्मल तिग्गा, अपर कलेक्टर, सरगुजा को विशेषज्ञ समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तथा सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन कर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर सहित रिपोर्ट के संबंध में अभिमत/अनुशंसा निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। कलेक्टर सरगुजा द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन/सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना की एक प्रति सभी सुसंगत अभिलेखों के साथ संलग्न कर भेजी गई है।

3– दिनांक 10/08/2018 को कलेक्टर कार्यालय अम्बिकापुर में विशेषज्ञ समूह की बैठक का आयोजन किया गया बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओ पर चर्चा की गई :–

(i) परियोजना का ग्राम के लोगो की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव होगा ?

(ii) ग्राम के लोगों की आजीविका/रोजगार , खाद्य सुरक्षा, जीवन निर्वाह के स्तर एवं आय पर क्या प्रभाव होगा ?

(iii) ग्राम के प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर क्या प्रभाव होगा ?
(iv) ग्राम की निजी /सार्वजनिक सम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर परियोजना का क्या प्रभाव होगा ?
(v) ग्राम की विद्यमान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं पर क्या प्रभाव होगा ?
(vi) क्या परियोजना से लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है ?
(vii) क्या परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं ?
(viii) क्या अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए आवश्यक पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक है ?
(ix) क्या परियोजना से ग्राम के लोगों का विस्थापन हो रहा है ?

4– विशेषज्ञ समूह के द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन/सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना का उपर्युक्त कण्डिकाओं के आधार पर समीक्षा एवं चर्चा की गई। साथ ही सभी संलग्न अभिलेखों का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन में दल के द्वारा परियोजना के प्रभावों के संबंध में विस्तृत विवरण दिया गया है जिसमें किसी नकारात्मक प्रभाव का उल्लेख नहीं है। दल के द्वारा सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना का प्रारुप तैयार किया गया है जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं–

(i) इस परियोजना में संशोधित प्रभावित 49 खातेदारों की भूमि का एक छोटा भाग ही अधिग्रहण किया जाना है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण में किसी भी परिवार के पुनर्वासन की आवश्यकता नहीं होगी।
(ii) इस परियोजना के कारण पर्यावरण संतुलन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(iii) परियोजना के आने से प्रभावित ग्राम सानीबर्रा के कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
(iv) इस परियोजना से सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। इस प्रकार लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है।
(v) अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए आवश्यक पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक है।
(vi) परियोजना का ग्राम के लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।
(vii) खाद्य सुरक्षा, जीवन निर्वाह के स्तर में सुधार होगा एवं आय में वृद्धि होगी।
(viii) ग्राम के प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।
(ix) ग्राम की निजी /सार्वजनिक सम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर परियोजना का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(x) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।
(xi)– परियोजना से ग्राम के लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है।

5– विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना एवं सभी संलग्न अभिलेखों के अवलोकन एवं परिशीलन तथा सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा के उपरांत निम्नलिखित निष्कर्ष पर सहमति दी गई है–

(i) परियोजना का ग्राम के लोगो की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।
(iii) ग्राम के प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।
(iv) ग्राम की निजी /सार्वजनिक सम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर परियोजना का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(vi) परियोजना से लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है।
(vii) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।

(viii) अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए आवश्यक पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक है।

(ix) परियोजना से ग्राम के लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है।

अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, नया रायपुर के द्वारा स्वीकृत की गई अटेम व्यपवर्तन योजना के निर्माण के लिए ग्राम सानीवर्रा में संशोधित कुल 39 खातेदारों की कुल खसरा नं. 49 कुल रकबा 8.594 हे0 के अधिग्रहित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता ध्रुव)
अपर कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी,
भू–अर्जन, अम्बिकापुर।

(निर्मल तिर्गा)
अपर कलेक्टर, सरगुजा,
अम्बिकापुर

(डॉ. आर.एन.शर्मा)
विभागाध्यक्ष
समाज शास्त्र विभाग,
साई बाबा आदर्श महाविद्यालय डिगमा, अम्बिकापुर
जिला सरगुजा।

डॉ(मीरा शुक्ला)
डायरेक्टर,
मानव संस्कृति विकास परिषद,
अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा।

(राजीव कुमार सिंह)
जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, क्षेत्र
उदयपुर, जिला सरगुजा।

(बी.पी. अग्रवाल)
कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग,
(भ/स) संभाग, अम्बिकापुर।

Santoshi
(श्रीमती संतोषी सिंह)
जनपद पंचायत बी.डी.सी. क्षेत्र
उदयपुर, जिला सरगुजा।

10

कार्यालय कलेक्टर सरगुजा,अम्बिकापुर एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 375 /भू–अर्जन/2019 अम्बिकापुर,दिनांक 11/1/2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 8 सहपठित नियम 26 के अन्तर्गत

कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र0 01 अम्बिकापुर के द्वारा अटेम व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम सानीबर्रा, तहसील उदयपुर में कुल 39 खातेदारों की कुल खसरा नं. 49, कुल रकबा 8.594 हे0 निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन/ सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के मूल्यांकन हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 8882/भू–अर्जन/2018, दिनांक 25/06/2018 के माध्यम से विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समूह के द्वारा पत्र क्रमांक 10403/भू–अर्जन/2018, दिनांक 20/08/2018 के साथ मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

(i) परियोजना का ग्राम के लोगो की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

(ii) ग्राम के प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

(iii) ग्राम की निजी /सार्वजनिक सम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर परियोजना का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(iv) परियोजना से लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है।

(v) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।

(vi) अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए आवश्यक पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक है।

(vii) परियोजना से ग्राम के लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है।

2– मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार अटेम व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम सानीबर्रा, तहसील उदयपुर में कुल 39 खातेदारों की कुल खसरा नं. 49, कुल रकबा 8.594 हे0 निजी भूमि अर्जित किये जाने हेतु विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुशंसा की गई है।

3– सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, विशेषज्ञ समूह का मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य सभी प्रासंगिक अभिलेखों के अवलोकन एवं विचारोपरांत मेरा निष्कर्ष निम्नानुसार है –

(i) प्रस्तावित अर्जन के संबंध में एक विधिसम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है जिसके कारण प्रस्तावित भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है।

(ii) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।

(iii) परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अर्जन किए जाने का प्रस्ताव है।

(iv) इस परियोजना के लिए ऐसी कोई अनुपयोजित भूमि नहीं है, जिसका ग्राम सानीबर्रा, तहसील उदयपुर में पूर्व में अर्जन किया गया है।

(v) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन अपेक्षित प्रभावित कुटुम्बों की पूर्व सहमति विहित रीति एवं निर्धारित प्रारूप में अभिप्राप्त कर ली गई है।

अतएव विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा के आधार पर (क) न्यूनतम विस्थापन (ख) अधोसंरचना पर न्यूनतम बाधा (ग) पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव को सुनिश्चित करते हुए कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र0 01 अम्बिकापुर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुक्रम में अटेम व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम सानीबर्रा, तहसील उदयपुर में कुल 39 खातेदारों की कुल खसरा नं. 49, कुल रकबा 8.594 हे0 निजी भूमि का भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 एवं प्रासंगिक नियमों के अनुसार अर्जन का विनिश्चय किया जाता है।

(डॉ.सारांश मित्तर)
कलेक्टर
सरगुजा,अम्बिकापुर

क्रमांक 376 /भू–अर्जन/2019 अम्बिकापुर, दिनांक 11/ //2019

प्रतिलिपि–

1– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2– आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।
4– अनुविभागीय अधिकारी, उदयपुर जिला–सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संबंधित ग्राम पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं प्रभावित ग्राम में अधिसूचना का तत्काल प्रकाशन कराएं तथा पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। आपको आदेशित किया जाता है कि भ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अटेम व्यपवर्तन योजना के लिए सामाजिक समाघात प्रतिवेदन के संलग्नक में दर्शाये अनुसार ग्राम सानीबर्रा, तहसील उदयपुर में कुल 39 खातेदारों की कुल खसरा नं. 49, कुल रकबा 8.594 हे0 निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रकरण पंजीबद्ध करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु प्रारंभिक अधिसूचना का प्रारुप तैयार कर प्रस्तुत करें।
5–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर को अधिसूचना की एक प्रति जिले के वेबसाईट पर तथा छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, की वेवसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
6– प्रभारी अधिकारी, नजरात शाखा, कलेक्टर कार्यालय अम्बिकापुर को अधिसूचना की प्रति कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।
7– तहसीलदार, उदयपुर जिला–सरगुजा।
8– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत उदयपुर, जिला सरगुजा।
9– कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0 01, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11/11/19
कलेक्टर
सरगुजा,अम्बिकापुर

10

कार्यालय कलेक्टर सरगुजा,अम्बिकापुर एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 375 /भू–अर्जन/2019 अम्बिकापुर,दिनांक 11/1/2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 8 सहपठित नियम 26 के अन्तर्गत

कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र0 01 अम्बिकापुर के द्वारा अटेम व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम सानीबर्रा, तहसील उदयपुर में कुल 39 खातेदारों की कुल खसरा नं. 49, कुल रकबा 8.594 हे0 निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन/ सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के मूल्यांकन हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 8882/भू–अर्जन/2018, दिनांक 25/06/2018 के माध्यम से विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समूह के द्वारा पत्र क्रमांक 10403/भू–अर्जन/2018, दिनांक 20/08/2018 के साथ मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

(i) परियोजना का ग्राम के लोगो की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

(ii) ग्राम के प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

(iii) ग्राम की निजी /सार्वजनिक सम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर परियोजना का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

(iv) परियोजना से लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है।

(v) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।

(vi) अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए आवश्यक पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक है।

(vii) परियोजना से ग्राम के लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है।

2– मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार अटेम व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम सानीबर्रा, तहसील उदयपुर में कुल 39 खातेदारों की कुल खसरा नं. 49, कुल रकबा 8.594 हे0 निजी भूमि अर्जित किये जाने हेतु विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुशंसा की गई है।

3– सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, विशेषज्ञ समूह का मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य सभी प्रासंगिक अभिलेखों के अवलोकन एवं विचारोपरांत मेरा निष्कर्ष निम्नानुसार है –

(i) प्रस्तावित अर्जन के संबंध में एक विधिसम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है जिसके कारण प्रस्तावित भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है।

(ii) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।

(iii) परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अर्जन किए जाने का प्रस्ताव है।

(iv) इस परियोजना के लिए ऐसी कोई अनुपयोजित भूमि नहीं है, जिसका ग्राम सानीबर्रा, तहसील उदयपुर में पूर्व में अर्जन किया गया है।

(v) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन अपेक्षित प्रभावित कुटुम्बों की पूर्व सहमति विहित रीति एवं निर्धारित प्रारूप में अभिप्राप्त कर ली गई है।

अतएव विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा के आधार पर (क) न्यूनतम विस्थापन (ख) अधोसंरचना पर न्यूनतम बाधा (ग) पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव को सुनिश्चित करते हुए कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र0 01 अम्बिकापुर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुक्रम में अटेम व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम सानीबर्रा, तहसील उदयपुर में कुल 39 खातेदारों की कुल खसरा नं. 49, कुल रकबा 8.594 हे0 निजी भूमि का भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 एवं प्रासंगिक नियमों के अनुसार अर्जन का विनिश्चय किया जाता है।

(डॉ.सारांश मित्तर)
कलेक्टर
सरगुजा,अम्बिकापुर

क्रमांक 376 /भू–अर्जन/2019 अम्बिकापुर, दिनांक 11/ 1/2019

प्रतिलिपि–

1– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

2– आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

3– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।

4– अनुविभागीय अधिकारी, उदयपुर जिला–सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संबंधित ग्राम पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं प्रभावित ग्राम में अधिसूचना का तत्काल प्रकाशन कराएं तथा पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। आपको आदेशित किया जाता है कि भ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अटेम व्यपवर्तन योजना के लिए सामाजिक समाघात प्रतिवेदन के संलग्नक में दर्शाये अनुसार ग्राम सानीबर्रा, तहसील उदयपुर में कुल 39 खातेदारों की कुल खसरा नं. 49, कुल रकबा 8.594 हे0 निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रकरण पंजीबद्ध करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु प्रारंभिक अधिसूचना का प्रारुप तैयार कर प्रस्तुत करें।

5–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर को अधिसूचना की एक प्रति जिले के वेबसाईट पर तथा छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, की वेवसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।

6– प्रभारी अधिकारी, नजरात शाखा, कलेक्टर कार्यालय अम्बिकापुर को अधिसूचना की प्रति कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।

7– तहसीलदार, उदयपुर जिला–सरगुजा।

8– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत उदयपुर, जिला सरगुजा।

9– कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0 01, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11/1/19
कलेक्टर
सरगुजा,अम्बिकापुर

कार्यालय कलेक्टर सरगुजा, अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक 377 /भू–अर्जन/2019 अम्बिकापुर,दिनांक 11/1/2019
प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व,
उदयपुर, जिला–सरगुजा।

विषयः– सोहरानाला व्यपवर्तन योजना हेतु विशेषज्ञ समूह के मूल्यांकन प्रतिवेदन के प्रकाशन के संबंध में।
संदर्भः– अपर कलेक्टर, सरगुजा का पत्र क्रमांक 10311/भू–अर्जन/2018, दिनांक 13/08/2018.

विषयान्तर्गत सोहरानाला व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम डांड़गांव, तहसील उदयपुर में कुल 30 खातेदारों की कुल खसरा नं. 38, कुल रकबा 2.914 हे0 निजी भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन/ सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के मूल्यांकन हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 8880/भू–अर्जन/2018, दिनांक 25/06/2018 के माध्यम से विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था तथा श्री निर्मल तिग्गा, अपर कलेक्टर, सरगुजा को उक्त विशेषज्ञ समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। श्री निर्मल तिग्गा, अपर कलेक्टर, सरगुजा के द्वारा संदर्भित पत्र के साथ मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसकी पांच प्रतियां एतद् संलग्न कर आपको भेजी जा रही हैं।

आपको निर्देशित किया जाता है कि भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 (6) के अनुसार विशेषज्ञ समूह के मूल्यांकन प्रतिवेदन का संबंधित ग्राम पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं प्रभावित ग्राम में तत्काल प्रकाशन कराएं तथा की गई कार्यवाही के संबंध में पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

11/1/19
(डॉ.सारांश मित्तर)
कलेक्टर
सरगुजा,अम्बिकापुर

क्रमांक 378 /भू–अर्जन/2019 अम्बिकापुर, दिनांक 11/1/2019
प्रतिलिपि–

1– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2– आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।
4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर को मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति जिले के वेबसाईट पर तथा छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, की वेवसाईट पर भूमि अधिग्रहणः जिलेवार भू–अर्जन अधिसूचनाएं शीर्ष के अन्तर्गत अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
5– प्रभारी अधिकारी, नजरात शाखा, कलेक्टर कार्यालय अम्बिकापुर को मूल्यांकन प्रतिवेदन की प्रति कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।
6– तहसीलदार, उदयपुर जिला–सरगुजा।
7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत उदयपुर, जिला सरगुजा।
8– कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0 1, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
सरगुजा,अम्बिकापुर

8

सरगुजा जिले के अन्तर्गत ग्राम डांड़गांव तहसील उदयपुर में सोहरानाला व्यपवर्तन योजना के लिए निजी भूमि अर्जन के संबंध में प्रस्तुत सामाजिक समाघात प्रतिवेदन/सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना का

विशेषज्ञ समूह का मूल्यांकन प्रतिवेदन

1– छत्तीसगढ़ शासन, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र0 01 अम्बिकापुर के द्वारा सरगुजा जिले के अन्तर्गत ग्राम डांड़गांव, तहसील उदयपुर में सोहरानाला व्यपवर्तन योजना हेतु निजी भूमि के कुल 30 खातेदारों की कुल खसरा नं. 38 कुल रकबा 2.914 हे0 भूमि के अर्जन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। कलेक्टर सरगुजा, अम्बिकापुर के आदेश क्रमांक–8880/भू–अर्जन/2018 अम्बिकापुर दिनांक 25/06/2018 के द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन/सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है:–

क्रमांक	श्रेणी	नाम/पदनाम
1	गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक (दो सदस्य)	1– डॉ. आर.एन.शर्मा, विभागाध्यक्ष समाज शास्त्र विभाग, साई बाबा आदर्श महाविद्यालय डिगमा, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा। 2– डॉ. मीरा शुक्ला, डायरेक्टर, मानव संस्कृति विकास परिषद, अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा।
2	स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि (दो सदस्य)	1– श्री राजीव कुमार सिंह, उपाध्यक्ष,जनपद पंचायत उदयपुर, जिला सरगुजा। 2– श्रीमती भोजवन्ती सिंह, सदस्य.,जिला पंचायत सरगुजा।
3	पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ (दो सदस्य)	1– श्री निर्मल तिग्गा, अपर कलेक्टर सरगुजा, अम्बिकापुर 2– श्रीमती चन्द्रकान्ता ध्रुव अपर कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी, भू–अर्जन, अम्बिकापुर।
4	परियोजना से संबंधित विषय का तकनीकी विशेषज्ञ (एक सदस्य)	श्री बी.पी. अग्रवाल, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण (भ/स) संभाग, अम्बिकापुर।

2– कलेक्टर सरगुजा, अम्बिकापुर के उपर्युक्त आदेश दिनांक 25/06/2018 के द्वारा श्री निर्मल तिग्गा, अपर कलेक्टर, सरगुजा को विशेषज्ञ समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तथा सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन कर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर सहित रिपोर्ट के संबंध में अभिमत/अनुशंसा निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। कलेक्टर सरगुजा द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन/सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना की एक प्रति सभी सुसंगत अभिलेखों के साथ संलग्न कर भेजी गई है।

3– दिनांक 10/08/2018 को कलेक्टर कार्यालय अम्बिकापुर में विशेषज्ञ समूह की बैठक का आयोजन किया गया बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओ पर चर्चा की गई :–

(i) परियोजना का ग्राम के लोगो की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव होगा ?

(ii) ग्राम के लोगों की आजीविका/रोजगार , खाद्य सुरक्षा, जीवन निर्वाह के स्तर एवं आय पर क्या प्रभाव होगा ?

(iii) ग्राम के प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर क्या प्रभाव होगा ?

(iv) ग्राम की निजी /सार्वजनिक सम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर परियोजना का क्या प्रभाव होगा ?

(v) ग्राम की विद्यमान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं पर क्या प्रभाव होगा ?

(vi) क्या परियोजना से लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है ?

(vii) क्या परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं ?

(viii) क्या अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए आवश्यक पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक है ?

(ix) क्या परियोजना से ग्राम के लोगों का विस्थापन हो रहा है ?

4– विशेषज्ञ समूह के द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन/सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना का उपर्युक्त कण्डिकाओं के आधार पर समीक्षा एवं चर्चा की गई। साथ ही सभी संलग्न अभिलेखों का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन में दल के द्वारा परियोजना के प्रभावों के संबंध में विस्तृत विवरण दिया गया है जिसमें किसी नकारात्मक प्रभाव का उल्लेख नहीं है। दल के द्वारा सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना का प्रारुप तैयार किया गया है जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं–

(i) इस परियोजना में संशोधित प्रभावित 30 खातेदारों की भूमि का एक छोटा भाग ही अधिग्रहण किया जाना है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण में किसी भी परिवार के पुनर्वासन की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) इस परियोजना के कारण पर्यावरण संतुलन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(iii) परियोजना के आने से प्रभावित ग्राम डांड़गांव के कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

(iv) इस परियोजना से सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। इस प्रकार लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है।

(v) अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए आवश्यक पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक है।

(vi) परियोजना का ग्राम के लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

(vii) खाद्य सुरक्षा, जीवन निर्वाह के स्तर में सुधार होगा एवं आय में वृद्धि होगी।

(viii) ग्राम के प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

(ix) ग्राम की निजी /सार्वजनिक सम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर परियोजना का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(x) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।

(xi)– परियोजना से ग्राम के लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है।

5– विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना एवं सभी संलग्न अभिलेखों के अवलोकन एवं परिशीलन तथा सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा के उपरांत निम्नलिखित निष्कर्ष पर सहमति दी गई है–

(i) परियोजना का ग्राम के लोगो की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

(iii) ग्राम के प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

(iv) ग्राम की निजी /सार्वजनिक सम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर परियोजना का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(vi) परियोजना से लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है।

(vii) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।

(viii) अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए आवश्यक पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक है।

(ix) परियोजना से ग्राम के लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है।

अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, नया रायपुर के द्वारा स्वीकृत की गई अटेम व्यपवर्तन योजना के निर्माण के लिए ग्राम डांड़गांव में संशोधित कुल 30 खातेदारों की कुल खसरा नं. 38 कुल रकबा 2.914 हे0 के अधिग्रहित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता ध्रुव)
अपर कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी,
भू–अर्जन, अम्बिकापुर।

(निर्मल टिग्गा)
अपर कलेक्टर, सरगुजा,
अम्बिकापुर

(डॉ. ओ.एन.शर्मा)
विभागाध्यक्ष
समाज शास्त्र विभाग,
साई बाबा आदर्श महाविद्यालय डिगमा, अम्बिकापुर
जिला सरगुजा।

(मीरा शुक्ला)
डायरेक्टर,
मानव संस्कृति विकास परिषद,
अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा।

(राजीव कुमार सिंह)
जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, क्षेत्र
उदयपुर, जिला सरगुजा।

(बी.पी. अग्रवाल)
कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग,
(भ/स) संभाग, अम्बिकापुर।

(श्रीमती भौजवन्ती सिंह)
सदस्य, जिला पंचायत
सरगुजा।

10

कार्यालय कलेक्टर सरगुजा, अम्बिकापुर एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 379/भू–अर्जन/2019 अम्बिकापुर,दिनांक 11/1/2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 8 सहपठित नियम 26 के अन्तर्गत

कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र0 01 अम्बिकापुर के द्वारा सोहरानाला व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम डांड़गांव, तहसील उदयपुर में कुल 30 खातेदारों की कुल खसरा नं. 38, कुल रकबा 2.914 हे0 निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन/ सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के मूल्यांकन हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 8880/भू–अर्जन/2018, दिनांक 25/06/2018 के माध्यम से विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समूह के द्वारा पत्र क्रमांक 10311/भू–अर्जन/2018, दिनांक 13/08/2018 के साथ मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि-

(i) परियोजना का ग्राम के लोगो की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

(ii) ग्राम के प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

(iii) ग्राम की निजी /सार्वजनिक सम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर परियोजना का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(iv) परियोजना से लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है।

(v) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।

(vi) अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए आवष्यक पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक है।

(vii) परियोजना से ग्राम के लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है।

2– मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार सोहरानाला व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम डांड़गांव, तहसील उदयपुर में कुल 30 खातेदारों की कुल खसरा नं. 38, कुल रकबा 2.914 हे0 निजी भूमि अर्जित किये जाने हेतु विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुशंसा की गई है।

3– सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, विशेषज्ञ समूह का मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य सभी प्रासंगिक अभिलेखों के अवलोकन एवं विचारोपरांत मेरा निष्कर्ष निम्नानुसार है –

(i) प्रस्तावित अर्जन के संबंध में एक विधिसम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है जिसके कारण प्रस्तावित भूमि का अर्जन आवष्यक हो गया है।

(ii) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाधात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।

(iii) परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अर्जन किए जाने का प्रस्ताव है।

(iv) इस परियोजना के लिए ऐसी कोई अनुपयोजित भूमि नहीं है, जिसका ग्राम डांड़गांव, तहसील उदयपुर में पूर्व में अर्जन किया गया है।

(v) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन अपेक्षित प्रभावित कुटुम्बों की पूर्व सहमति विहित रीति एवं निर्धारित प्रारूप में अभिप्राप्त कर ली गई है।